अंकित गौरहा

प्रदेश महासचिव - युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़
पूर्व सदस्य - जिला पंचायत बिलासपुर
पूर्व सभापति - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
पूर्व उपाध्यक्ष व प्रवक्ता - जिला कांग्रेस कमेटी, बिलासपुर

Mob. : 9584699999
9300276665
E-mail : ankit.gourha@gmail.com

क्रमांक.....

दिनांक 04-05-2026

प्रति,

संयुक्त संचालक शिक्षा,
जिला बिलासपुर (छ॰ग॰)

विषयः— जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर और विधि खण्ड प्रभारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को आधार बनाकर किए गए पदोन्नति की शिकायत बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर और विधि खण्ड प्रभारी द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशों का हवाला देते हुए विभिन्न प्रमोशन आदेश जारी किए गए हैं, जो की उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के सर्वथा विपरीत है, साथ ही राज्य कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश की भी स्पष्ट अवहेलना है। इसके संबंध में समस्त तथ्यों के साथ यह आवेदन आपके समक्ष इस विश्वास के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, कि हाईकोर्ट स्टेट नोडल और संभाग प्रभारी होने के नाते आपके द्वारा माननीय न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आपके द्वारा न्यायालय और उच्च कार्यालय के नाम पर जारी किए गए समस्त गलत आदेशों को रद्द करते हुए संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। यदि आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो मजबूरन में हाई कोर्ट की शरण लेने को मजबूर होऊंगा।

तथ्यः—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 12402 दिनांक 27.12. 2024 को सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया था, जिसके माध्यम से कुल 162 सहायक शिक्षकों का प्रधान पाठक पद पर प्रमोशन किया गया था।

(2) उक्त आदेश से व्यथित होकर पांच शिक्षकों हलधर प्रसाद साहू, रमेश कुमार साहू, शिप्रा सिंह बघेल, सूरज कुमार सोनी और ज्ञानचंद पांडे ने न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें 16 अप्रैल 2025 को निर्णय देते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को रेस्पोंडेंट नंबर दो यानी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था, और डीपीआई को इस पर नियमानुसार निर्णय लेने हेतु आदेशित किया था।

(3) संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने 4 सितंबर 2025 को स्पष्ट और स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते हुए सभी शिक्षकों के अभ्यावेदन को "अमान्य" कर दिया था, और जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित शिक्षकों की पद स्थापना राज्य कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक, दिनांक 29.03.2023 में दिए गए निर्देशों के आधार पर पदस्थापना करने हेतु निर्देशित किया गया था, जैसा कि पूर्व में ही तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 27.12.2024 को आदेश जारी करके किया जा चुका था। इस प्रकार 4 सितंबर 2025 को आदेश जारी कर संचालक लोक शिक्षण संचालक लेने न्यायालय के आदेश का पालन भी कर दिया था।

संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग
दि. 04/05/26
बिलासपुर (छ.ग.)

:: कार्यालय ::
रुद्र विहार कालोनी, वार्ड नं. 57, अशोक नगर, सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.)

जांच के विषयः—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी ने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय और पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के आधार पर संबंधित शिक्षकों की पदस्थापना 27.12.2024 को जारी आदेश के आधार पर उन्हें दिए गए स्कूलों में करने के बजाय संशोधन आदेश जारी करते हुए उनकी पदस्थापना उनके मनचाहे स्थान पर कर दी। जबकि 29.3.2023 के निर्देश के आधार पर संशोधन होने पर भी ऐसे शिक्षको की पदस्थापना शिक्षक विहीन तत्पश्चात् एकल शिक्षकीय तत्पश्चात अधिक दर्ज संख्या वाले स्कूलों में की जानी थी।

(2) मामले की शिकायत कलेक्टर और कमिश्नर को करने पर मीडिया के समक्ष जिला शिक्षा अधिकारी ने बयान दिया है, कि न्यायालय के अवमानना की स्थिति को देखते हुए ऐसा किया गया है, तो इस संबंध में लेख है, कि 4 सितंबर 2025 को ही संचालक लोक शिक्षण संचालक ने न्यायालय के निर्देश का परिपालन करते हुए अभ्यावेदन का निराकरण कर दिया था, और इसके बाद किसी भी प्रकार के अवमानना की स्थिति नहीं थी। न्यायालय के आदेश की अवमानना के नाम पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गुमराह करने का खेल खेला जा रहा है। न्यायालय ने अपने निर्णय में अभ्यावेदन का नियमानुसार निराकरण करने के लिए कहा था न की शिक्षकों के पक्ष में निर्णय देने के लिए।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा हलधर साहू की पदस्थापना राजेंद्र नगर स्कूल में, शिप्रा सिंह बघेल की पदस्थापना शासकीय प्राथमिक शाला पौंसरा, सूरज कुमार सोनी की पदस्थापना शासकीय प्राथमिक शाला भटगांव जैसे स्थानों में की गई है । जबकि पूर्व में उनकी पदस्थापना अन्य विकासखंड में हुई थी, जिससे यह स्पष्ट है, कि इन्हें लाभ पहुंचाने के लिए उच्च कार्यालय और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उनके आदेश में संशोधन किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है, कि उपरोक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए 15 दिवस के भीतर इस पर उचित कार्यवाही करते हुए मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें ऐसा नहीं होने की स्थिति में आपके द्वारा भी दोषी अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण दिया हुआ मानकर मेरे द्वारा लोकायुक्त और माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली जाएगी।

भवदीय

अंकित गौरहा